भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 252*

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

*252. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत आयुष क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए ध्यान दिए जाने हेतु पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय को किए गए बजटीय आवंटन से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पहल के अंतर्गत क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत परिकल्पित आयुष घटक सहित प्रस्तावित क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 252* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत आयुष क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु चिह्नित प्रमुख फोकस क्षेत्रों में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपारिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर का उन्नयन, आयुष क्षेत्र सहित देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण, चिकित्सा मूल्य पर्यटन में आयुष को शामिल करना तथा आयुष में उच्च मानक की प्रमाणन सुविधा को सुदृढ़ करना शामिल है।

(ख) वर्ष 2026-27 के लिए आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में प्रशासनिक खर्चों के लिए 114.86 करोड़ रुपये, सांविधिक/स्वायत्त निकायों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 2588.47 करोड़ रुपये, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए 405.60 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 1300.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आयुष मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नामत: राष्ट्रीय आयुष मिशन (विवरण **संलग्नक-I** में) तथा छह केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ, नामत: सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन (आईईसी), आयुर्ज्ञान, आयुर्स्वास्थ्य योजना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) तथा औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए योजना-वार बजट आवंटन का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): केंद्रीय बजट 2026–27 में क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस पहल के लिए नोडल विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा व्यापक हितधारक परामर्श किए गए, जिनमें बजट प्रस्तुति के पश्चात वेबिनार के माध्यम से विषय विशेषज्ञों, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों, उद्योग संघों, आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। आयुष मंत्रालय ने उक्त चिकित्सा केंद्रों में आयुष पद्धतियों के एकीकरण हेतु डीपीआईआईटी को समयबद्ध तकनीकी इनपुट एवं सुझाव उपलब्ध कराए हैं। कार्यान्वयन की रूपरेखा के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

संलग्नक - I

केन्द्रीय प्रायोजित योजना (राष्ट्रीय आयुष मिशन)

आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से देश में आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों में सहयोग कर रहा है। मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत उनके राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

एनएएम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से पुनः नामित किया गया है (आयुष), का संचालन।

(ii) (पीएचसी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला (सीएचसी) अस्पतालों स्थापन।-में आयुष सुविधाओं का सह (डीएच)

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारीमौजूदा /सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/पंचायत/ आयुषऔषधालय किराए)परऐसे क्षेत्रों /के लिए भवन का निर्माण (जर्जर भवन में संचालित/ में नए आयुष औषधालय की स्थापना हेतु भवन का निर्माण, जहाँ कोई आयुष सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(v) अधिकतम बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना। 50/30/10

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों तथा सरकारीसरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण / संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(viii) बीसीसीआईईसी गतिविधियाँ।/

(ix) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

(x) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास / फ /अतिरिक्त स्नातकोत्तरार्मेसीपैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना /।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 6,40,699.24 लाख रुपये की राशि आवंटित/जारी की गई है।

संलग्नक - II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएँ/कार्यक्रम	आवंटित बजट	जारी की गई निधियां (04-08-26 तक की स्थिति के अनुसार)
क.	**केंद्र का स्थापना व्यय**	**114.86**	**32.48**
1	सचिवालय	74.44	20.53
2	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	18.16	6.89
3	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच)	22.26	5.06
ख.	**वैधानिक/स्वायत्त निकाय**	**2588.47**	**1095.93**
1	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	219.05	79.50
2	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम)	37.28	18.66
3	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)	20.00	10.00
4	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद	524.05	257.78
5	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	208.50	103.38
6	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	227.25	110.63
7	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	270.20	110.80
8	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	91.99	46.00
9	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	227.85	106.43
10	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ	34.27	8.57
11	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	136.59	42.80
12	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर	124.50	62.25
13	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	46.50	18.13
14	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	38.00	9.50
15	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	49.43	12.36
16	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	137.70	34.43
17	राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान	42.03	10.51
18	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद	120.98	46.12
19	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट	32.30	8.08
ग.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजना**	**405.60**	**70.61**

क्र.सं.	योजनाएँ/कार्यक्रम	आवंटित बजट	जारी की गई निधियां (04-08-26 तक की स्थिति के अनुसार)
1	सूचना, शिक्षा और संचार	45.00	8.04
2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना	156.00	18.83
3	औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्र की क्षेत्रीय योजना	65.00	14.43
4	आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)	27.00	5.15
5	आयुर्स्वास्थ्य योजना	62.60	15.59
6	आयुर्ज्ञान	50.00	8.57
घ	**केंद्रीय प्रायोजित योजना**	**1300.00**	**151.43**
1	राष्ट्रीय आयुष मिशन	1300.00	151.43
कुल क+ख+ग+घ:		**4408.93**	**1350.45**